संख्या–वे0आ0–2–398/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(1) विद्युत सुरक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर वेतनमान रू0 12000–16500 को उच्चीकृत कर वेतनमान रू0 14300–18300 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4 (37400–67000) तथा ग्रेड वेतन रू0 8700/– तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(2) विद्युत सुरक्षा निदेशालय एवं उनके अधीनस्थ नये कार्यालयों की स्थापना तथा आवश्यक पदों के सृजन पर विचार हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाय। समिति के गठन एवं उससे प्राप्त होने वाली संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने में लगने वाले समय के दृष्टिगत वर्तमान जोनल कार्यालयों में ही प्रथम चरण में 14 सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा तथा 30 विद्युत अवर अभियन्ता के पदों का सृजन कर लिया जाय। द्वितीय चरण में भी इतने ही पद सृजित कर लिये जायें। औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार इन सृजित पदों का समायोजन नये कार्यालयों में यथावश्यकता कर लिया जायेगा।

(3) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, लिपिक श्रेणी आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग से दी जा चुकी हैं।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(4) विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अन्य किसी पद/संवर्ग की वेतनमान विसंगति का मामला समिति के संज्ञान में नहीं है।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—398 (1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।